न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 114 / 2009 (उदयपुर आर्डर)

1. नाथू पिता गोविन्दा गायरी, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. तेजा पिता गोविन्दा गायरी, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. देवा पिता भज्जा गायरी, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. नाथू पिता भज्जा गायरी, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. मेघा पिता भोला गायरी, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. लालू पिता भोला गायरी, निवासी जावदा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा – 76
राज. भू–राजस्व अधि. 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलक्टर उदयपुर दि0
06–07–2009, प्र0 सं0 10 / 2008

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता

———::———

निर्णय **दिनांक 30–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मावली द्वारा अपने प्रकरण संख्या 3 / 2018 निर्णय दिनांक 30–06–2008 से अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए कथन किया कि ग्राम जावद की चारागाह आराजी नंबर 679 एवं 681 कुल किता 2 रकबा 30 बीघा पर अप्रार्थी नाथू, तेजा पिता गोविन्दा, देवा, नाथू पिता भज्जा एवं मेघा, लालू पिता भोला गयायरी ने अतिक्रमण कर रखा है तथा जिला कलक्टर ने अपने प्रकरण

संख्या 3/2005 निर्णय दिनांक 17–01–2008 से तहसीलदार को उक्त प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 30–06–2008 में यह कथन किया कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण राज्य सरकार के नियमानुसार 01–01–1972 से कब्जा व काश्त निरन्तर रेकार्ड से साबित होना चाहिए। साथ ही चारागाह भूमि बाबत् ग्राम पंचायत का बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तहसीलदार द्वारा विवेचन किया गया कि मात्र संवत् 2032 से 2035 की खसरा गिरदावरी तथा 91 (3) के नोटिस व शपथ पत्र के आधार पर पुराना कब्जा नहीं माना जा सकता एवं इस आधार पर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए फसल नीलामी व शास्ति का आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मावली के उक्त निर्णय दिनांक 30–06–2008 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर के यहां प्रथम अपील संख्या 10/2008 प्रस्तुत की, जिसमें जिला कलक्टर उदयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 06–07–2009 से अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुए तहसीलदार के निर्णय को यथावत रखा।

जिला कलक्टर उदयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 06–07–2009 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 16–11–2009 को प्रस्तुत की।

→ नकल दिये जाने में दिनांक 06–07–2009 से 13–11–2009 का का विलम्ब होने के कारण अपील अन्दर मयाद मानी जाकर रजिस्टर की गयी एवं रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार को नोटिस जारी किये गये, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

दौराने कार्यवाही अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26–03–2008 को आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ धारा 91 के नोटिस वर्ष 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 पेश किये तथा दिनांक 12–09–1983, 05–05–1990, 29–03–2001, 19–11–2007 के निर्णय की प्रतियां तथा पेनाल्टी जमा कराने की कुछ रसीदे पेश की।

→ उपरोक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां होने से रेकार्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अपील अपीलान्ट स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करने की प्रार्थना की। वही वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एंव विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने वास्तविक तथ्यों को समझे बिना अपने पूर्व के निर्णयों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है। तहसीलदार मावली ने अपीलान्ट चूंकि गरीब व्यक्ति है इसलिए जिला कलक्टर के आदेश की पालना नहीं की तथा अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने स्वयं की पत्रावली को देखे बिना व अपने पूर्व के निर्णय को देखे बिना मात्र जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट का 60 वर्षो से कब्जा होकर कुंआ खोद रखा है जिससे फसलों की पिलाई होती है। उक्त भूमि के संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पूर्व में अपने प्रकरण संख्या 305/1992 में दिनांक 12–09–1993 को अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय पारित किया था तथा उक्त भूमि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02–02–1983 के अनुसार विनियमन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया था, किन्तु उक्त पत्रावली पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र 6 पंक्तियों में अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण संख्या 305/1982 में दिनांक 12–09–1983 को निर्णय पारित करते हुए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 02–02–1983 को ध्यान में रखते हुए विनियमन की कार्यवाही किये जाने हेतु अपीलान्ट को सुनकर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार मावली को रिमाण्ड किया था तथा पुनः प्रकरण संख्या 61/1987 में निर्णय दिनांक 05–05–1990 से इस बाबत् विनियमन नहीं किये जाने के कारण प्रकरण पुनः उपहसीलदार मावली को रिमाण्ड किया था। जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 8/2000 में निर्णय दिनांक 03–07–2000 में पूर्व के प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित किये जाने के निर्देश दिये था। इस

न्यायालय द्वारा भी अपने पूर्व के प्रकरण संख्या 198/2000 में दिनांक 29–03–2001 को निर्णय पारित करते हुए भूमि पर दिनांक 01–01–1970 से पूर्व का कब्जा होने के कारण प्रकरण नियमन योग्य माने जाने के निर्देश देते हुए पूर्व प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण तहसीलदार मावली को रिमाण्ड किया था। इसी प्रकार इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 26/2006 में अपने निर्णय दिनांक 19–11–2007 से प्रकरण में समस्त तथ्यों एवं पूर्व निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए रिमाण्ड किया था।

प्रकरण में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि 30 चारागाह भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है, हालांकि अपीलान्ट का परिवार बड़ा है, परन्तु चारागाह भूमि जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है, पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 1132/2011 व 3109/2011 जगपालसिंह बनाम सरकार में राज्य सरकार द्वारा अपने परिपत्र दिनांक 25–04–2011 से निजी योजनार्थ चारागाह भूमियों को नियमन किये जाने से निषेध किया है तथा यदि प्रकरण नियमन योग्य माना भी जावे तो भी अपीलान्ट का कब्जा वर्ष 1971–72 से पूर्व का होना चाहिए। अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अपीलान्ट का कब्जा वर्ष 1971–72 से पूर्व का साबित होता हो। जब अपीलान्ट द्वारा नियमन की पात्रता रखे जाने के वांछित कब्जे की अवधि बाबत् कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं की गयी है तो इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नियमन बाबत् अपीलान्ट का पुराना कब्जा साबित नहीं होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि की जाना हम नहीं पाते हैं एवं अपील सारहीन पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर, उदयपुर का निर्णय दिनांक 06–07–2009 एवं तहसीलदार, मावली का निर्णय दिनांक 30–06–2008 यथावत रखे जाते हैं।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर